न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 145 / 2024

निर्णय दिनांक :– 28.06.2024

पूर्णी देवी पत्नी पुत्र दीपराम जाति जाट निवासी विरमी खालसा तहसील सिद्धमुख जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

(1) श्री देवकीनन्दन शर्मा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी।

(2) राजपैरोकार वास्ते अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि ख.नं. 694 / 225 तादादी 05.3109 हैक्टेयर, ख.नं. 720 / 225 तादादी 04.4258 हैक्टेयर कुल तादादी 09.7367 हैक्टेयर वाके रोही भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थिनी की खातेदारी की भूमि है यही विवादित भूमि है।

उक्त भूमि भालेरी की रोही में स्थित है उक्त भूमि के पड़ौसियान वगैरह हमेशा सींव बाबत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते है जिस कारण प्रार्थी अपने खेत के चारों और बाड़ वगैरह सही ढंग से नहीं कर सकता है ना हो अपने खेत को सुधार सकता है व उक्त भूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है प्रार्थी की भूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की पैमाइश करवाना चाहता है। इस बाबत तहसीलदार तारानगर को पैमाइश के लिए आवेदन किया था जिस पर तहसीलदार तारानगर ने हल्का पटवारी को पैमाइश के आदेश दिये थे जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 15.04.2022 को पैमाईश कर सीमा ज्ञान की निशान देही दी गई थी मगर पत्थर गढी नहीं की गई थी जिस कारण प्रार्थी अव उक्त निशान देही के आधार पर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है जिस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि ख.नं. 694 / 225 तादादी 05.3109 हैक्टेयर, ख.नं. 720 / 225 तादादी 04.4258 हैक्टेयर कुल तादादी 09.7367 हैक्टेयर वाके रोही भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू की पैमाईश करवाकर पत्थर गढ़ी करवाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थी ने हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 15.04.2022 को निशान देही बताये जाने के बाद पत्थर गढ़ी करने बाबत अप्रार्थी को प्रार्थना–पत्र दिया व कहा कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पैमाइश करवाई जाकर पत्थर गढ़ी का आदेश प्रदान करें। परन्तु अप्रार्थी आना–कानी करता रहा है तथा प्रार्थी को अप्रार्थी ने कहा कि न्यायालय से आदेश होने पर ही तुम्हारे उक्त खेत की पत्थर गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर, चूरू.

करेंगे प्रार्थी को उपरोक्त विनाय तारीख ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक अधिकार व कारण हासिल है। आदि–आदि।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त भूमि ख.नं. 694/225 तादादी 05.3109 हैक्टेयर, ख.नं. 720/225 तादादी 04.4258 हैक्टेयर कुल तादादी 09.7367 हैक्टेयर वाके रोही भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है उक्त कृषिभूमि की भू–राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पैमाइश करवाकर पत्थर गढ़ी कर सीमाओं के सीमा चिन्ह कायम कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। उन्होने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित प्रभवित नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खेत ख.नं. 694/225 तादादी 05.3109 हैक्टेयर, ख.नं. 720/225 तादादी 04.4258 हैक्टेयर कुल तादादी 09.7367 हैक्टेयर वाके रोही भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी अपने खेत की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर सीमा चिन्ह करवाना चाहते है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाकर है तथा प्रार्थी के खेत ख.नं. 694/225 तादादी 05.3109 हैक्टेयर, ख.नं. 720/225 तादादी 04.4258 हैक्टेयर कुल तादादी 09.7367 हैक्टेयर वाके रोही भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू के सीमाचिन्ह राजस्व नक्शा के मुताविक कायम कराने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि वह पैमाईश में दक्ष कार्मिकों टीम गठित कर स्वयं या नायब तहसीलदार के निर्देशन में पडौसी खातेदारों को उपस्थिति का अवसर देते हुये उक्त खेत के सीमाचिन्ह कायम करावे। समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)